बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / 02–भू0अ0नि0(आरोप)जमुई–13 / 2023....8318   पटना, दिनांक :–03/10/2023

आदेश

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 368 दिनांक 25.05.2023 द्वारा श्री नितीश कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02472) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि इनके द्वारा सर्वे कार्य में अभिरूचि नहीं लिए जाने के कारण प्रपत्र–6 इन्ट्री की प्रगति काफी निराशाजनक है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी एवं अपने सह कर्मी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग हमेशा किया जाता है। इसके साथ ही सर्वे कार्य का वातावरण दूषित न हो इसलिए तत्काल सेवा मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 5734 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है इनके द्वारा किस्तवार का कार्य 01 माह में पूर्ण कर लिया गया है एवं दिनांक 19.04.2022 से खानापुरी कार्य प्रारंभ कर दिनांक 14.12.2022 का पूर्ण करने की मौखिक सूचना शिविर प्रभारी को दी गयी है। साथ ही प्रपत्र–6 की इंट्री में हुए विलंब के लिए रैयतों द्वारा किसी प्रक्रम में भाग नही लेने, सर्वर का धीमा होने एवं तकनीकी समस्या आने का तथ्य देते हुए यह भी अंकित किया गया है कि ये सर्वे के प्रक्रमों को पूरी तरह समझ चुके हैं।

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा, आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा प्रपत्र–6 की इंट्री में विलंब के लिए तकनीकी समस्या एवं सर्वर धीमा रहने का उल्लेख किया गया है, परन्तु इस संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जो इनके स्पष्टीकरण की पुष्टि करता हो। साथ ही इनके द्वारा स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि ग्राम मांगेचपरी का खानापुरी कार्य दिनांक 19.04.2022 से प्रारंभ कर दिनांक 14.12.2022 को अर्थात लगभग 08 माह में समाप्त किया गया है जबकि इनके कार्यो की समीक्षा से स्पष्ट हुआ है कि उक्त राजस्व ग्राम का खानापुरी कार्य लगभग 11 माह में पूर्ण किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इनके द्वारा आरोप से बचने के लिए अस्पष्ट एवं भ्रामक तथ्य दिया गया है, जो इनके कार्य में बरती जा रही लापरवाही को स्वतः परिलक्षित करता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया गया जाना है, ऐसे कर्मियों के रहते निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनके कृत्य का प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, जो सर्वेक्षण जैसे समयबद्ध कार्यक्रम के लिए उचित नहीं होगा। इस परिपेक्ष्य में इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही कार्यहित में उचित है।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)''** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री नितीश कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02472) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

3/9/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / 02—भू0अ0नि0(आरोप)जमुई—13 / 2023...8318 **पटना, दिनांक** :-03/10/2023

प्रतिलिपि :— श्री नितीश कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02472), बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / 02—भू0अ0नि0(आरोप)जमुई—13 / 2023...8318 **पटना, दिनांक** :-03/10/2023

प्रतिलिपि :— बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / 02—भू0अ0नि0(विशेष सर्वेक्षण कर्मी)शिवहर—40 / 2022...8318 **पटना, दिनांक** :- 03/10/2023

प्रतिलिपि :— श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू—अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप
29/9/23